न्यायालय–मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–270/2019

छोटा यादव.....वादी

बनाम

चन्द्रिका चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.07.2024	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.02.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.07.2024 को सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वादपत्र के मद सं0–ग की भूमि जो मद सं0–ख का अंश है, पर से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाकर वादी को दखल कब्जा सौपने हेतु दाखिल किया है। टंकक की गलती से वादपत्र के पेज नं0–07 मद सं0–ग में दर्ज वादग्रस्त भूमि के विवरण में क्रम सं0–02 में दर्ज खाता– न0–37 खेसरा–269 रकबा 0–0–5 में 5 के स्थान पर 2 तथा इसकी चौहद्दी में पू0–ललन पासवान के स्थान पर सुभास सहनी करने की कृपा की जाय। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति, स्वरूप तथा संघर्ष पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर देने से दिनांक 20.04.2024 को वंचित किया जा चुका है। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों	

<u>न्यायालय–मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–270/2019</u>

छोटा यादव.....वादी

बनाम

चन्द्रिका चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.07.2024	के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 02.02.2021 मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 19.08.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	